



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.2(1)परावि/वि.अ./स्थाना./पद./संस्था./2011/ 802 जयपुर,दिनांक:- 14-3-1

—: आदेश :-

निम्नलिखित विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित पंचायत समिति में किये जाते हैं:-

क्र. स.	नाम विकास अधिकारी सर्वश्री	कहाँ से (पंचायत समिति)	कहाँ को (पंचायत समिति)	विशेष विवरण
1.	मनहर विश्नोई, RRDS,	आदेशों की प्रतीक्षा में	पिण्डवाडा (सिरोही)	श्री राजेन्द्र के स्थान पर
2.	राजेन्द्र, RRDS	पिण्डवाडा (सिरोही)	राश्मी (चित्तौड़गढ़)	रिक्त पद पर

उक्त विकास अधिकारी अपने पद का कार्यभार विभागीय पारंपत्र दिनांक 15.7.2014 के क्रम में पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों की वरियता के क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(इकबाल खान)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, जोधपुर/उदयपुर।
8. जिला कलेक्टर, सिरोही/चित्तौड़गढ़।
9. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही/चित्तौड़गढ़।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा/राश्मी।
11. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
12. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
13. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)